रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 324] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 1969/भाद्र 26, 1891
No. 324] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 1969/BHADRA 26, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 17th September 1969

S.O. 3836.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Union Territories (Separation of Judicial and Executive Functions) Act, 1969 (19 of 1969), the Central Government hereby appoints the 2nd day of October, 1969, as the date on which the said Act shall come into force in all the areas of the Union territory of Delhi.

[No. F. 13/2/69-UTL.]

S.O. 3837.—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 1615, dated the 6th May, 1968, in so far as it relates to the exercise of powers and discharge of functions by the Administrator of the Union territory of Delhi, the President hereby directs that the said Administrator shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions under the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), as amended by the Union Territories (Separation of Judicial and Executive Functions) Act, 1969 (19 of 1969), in relation to the Union territory of Delhi, specified in column 1 of the Schedule hereto annexed, subject to the general condition that the Central Government may itself exercise all or any of those powers and discharge all or any of those functions should it deem necessary so to do, and subject to the special conditions, if any, specified in column 2 of the said Schedule.

2. This notification shall have effect from the 2nd October, 1969.

Schedule showing the delegation of powers and functions under the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), as amended by the Union Territories (Separation of Judicial and Executive Functions) Act, 1969 (19 of 1969), to the Administrator of the Union territory of Delhi.

Powers and functions	Conditions subject to which exercisable
(1)	(2)
(i) All powers and functions of the State Government except those under section 14.	The power to empower an Executive Magistrate under sub-section (1A) of section 164 shall be exercised only when the Judicial Magistrate is not available to record the statement or confession.
(ii) Powers and functions of the Central Government under sub-section (3) of section 198B, in respect of persons employed in connection with the administration of the Union territory of Delhi.	..
(iii) Powers and functions of the appropriate Government under section 401, except in respect of :— (a) cases involving the sentence of death where such sentence has not been commuted; (b) cases where the sentence is for an offence against any law relating to any of the matters enumerated in List I in the Seventh Schedule to the Constitution ; and (c) cases where the order referred to in sub-section (4A) of section 401 is passed under any law relating to any of the matters enumerated in List I in the Seventh Schedule to the Constitution.	..

[No. F. 2/6/69-UTL.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1969

का० आ० 3838—संघ राज्य क्षेत्र (न्यायिक और कार्यपालिक कृत्यों का पृथक्करण) अधिनियम, 1969 (1969 का 19) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 2 अक्तूबर, 1969 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में प्रवृत्त हो जाएगा ।

[सं० एफ० 13/2/69–यू० टी० एल०]

का० आ० 3839.—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1615, तारीख 6 मई, 1968 को, वहां तक जहां तक कि उसका सम्बन्ध दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन से है, आंशिक रूप से उपान्तरित करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि उक्त प्रशासक, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और आगे आदेश होने तक, दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र (न्यायिक और कार्यपालिक कृत्यों का पृथक्करण) अधिनियम, 1969 (1969 का 19) द्वारा यथा संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अधीन उन शक्तियों का प्रयोग और उन कृत्यों का निर्वहन, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट है, इस साधारण शर्त के अध्यधीन कि यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह स्वयं उन सभी शक्तियों का या उनमें से किसी का प्रयोग और उन सभी कृत्यों का या उनमें से किसी का निर्वहन कर सकेगी तथा उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट विशेष शर्तों, यदि कोई हों, के अध्यधीन करेगा।

2. यह अधिसूचना 2 अक्टूबर, 1969 से प्रभावी होगी।

दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक को, संघ राज्यक्षेत्र (न्यायिक और कार्यपालिक कृत्यों का पृथक्करण) अधिनियम, 1969 (1969 का 19), द्वारा यथासंशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5), के अधीन की शक्तियां और कृत्यों का प्रत्यायोजन दर्शित करने वाली अनुसूची।

शक्तियां और कृत्य	शर्त जिसके अधीन वह प्रयोक्तव्य है
(1)	(2)
(i) धारा 14 के अधीन की शक्तियों और कृत्यों को छोड़ कर, राज्य सरकार की सभी शक्तियां और कृत्य।	धारा 164 की उपधारा (1क) के अधीन कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को सशक्त करने की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाएगा जब कथन या संस्वीकृति को अभिलिखित करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट मौजूद न हो।
(ii) धारा 198ख की उपधारा (3) के अधीन, दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के सम्बन्ध में नियोजित व्यक्तियों की बाबत, केन्द्रीय सरकार की शक्तियां और कृत्य।	——
(iii) निम्नलिखित के सम्बन्ध में छोड़ कर धारा 401 के अधीन समुचित सरकार की शक्तियां और कृत्य—	——
(क) वह मामले जिनमें मृत्यु दंडादेश अन्तर्वलित हो किन्तु जिनमें ऐसा दंडादेश लघूकृत नहीं किया गया हो;	

(1)	(2)
(ख) वह मामले जिनमें दण्डादेश संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 में प्रगणित विषयों में से किसी के सम्बन्ध में किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए हो, तथा	
(ग) वह मामले जिनमें धारा 401 की उपधारा (4क) में निर्दिष्ट आदेश, संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 में प्रगणित विषयों में से किसी के सम्बन्ध में किसी विधि के अधीन पारित किया गया हो ।	

[सं० एफ० 2/6/69-यू टी एल]

के० आर० प्रभू, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969